

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ५१५

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरम  
 व यू.अ.नि. कुरम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नाम  
 तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू. राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाण्डफिया तहसील रेलमगरा  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या १५० में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से सुद किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (सुद प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	भाण्डफिया बेडा	१५०	रमेश लाल	रमेशचन्द्र

रेलमगरा  
 पीठारीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक:- 220  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 4 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगरा  
 पीठारीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा